

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042024-253499 CG-DL-E-01042024-253499

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2 PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] No. 13]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 1, 2024/चैत्र 12, 1946 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 1, 2024/CHAITRA 12, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2024

सं. 30-36/2022-दिवाला.— केन्द्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 189 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा प्रो. एम.पी. राम मोहन, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद और श्री दीनबंधु महापात्र, गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक, इंडियाबुल्स हाउसिंग लिमिटेड को 19 फरवरी, 2024 से पांच वर्ष की अविध के लिए या जब तक उनकी आयु पैंसठ वर्ष की नहीं हो जाती या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड में अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

अनीता शाह आकेल्ला, संयुक्त सचिव

2370 GI/2024 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2024

No. 30-36/2022-Insolvency.—In exercise of the powers conferred by Section 189 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby appoints Prof. M.P. Ram Mohan, Professor, Indian Institute of Management, Ahmedabad and Shri Dinabandhu Mohapatra, Non-Executive Independent Director, Indiabulls Housing Limited as Part-time members in the Insolvency and Bankruptcy Board of India with effect from 19th February, 2024 for a period of five years or till they attain age of sixty-five years or until further orders, whichever is earlier.

ANITA SHAH AKELLA, Jt. Secy.